SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

जनजातियों के कल्याणार्थ आर्थिक एवं सामाजिक प्रयास

शशि भूषण, (Ph.D.) मानव विज्ञान विभाग
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार, गिरिडीह, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
शशि भूषण, (Ph.D.) मानव विज्ञान विभाग
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार,
गिरिडीह, झारखंड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 05/04/2021
Revised on : -----
Accepted on : 12/04/2021
Plagiarism : 03% on 05/04/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 0%

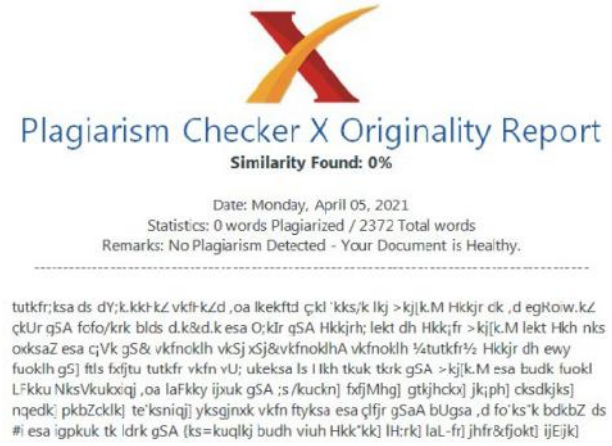

Date: Monday, April 05, 2021
Statistics: 0 words Plagiarized / 2372 Total words
Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

tutkfr;ksa ds dY;k.kkFkZ vkfFkZd ,oa lkekftd ç;kl 'kks/k lkj >kj[k.M Hkkjr dk ,d egRoiw.kZ çkUr gSA fofo/krk blds d.k&d.k esa O;kIr gSA Hkkjrh; lekt dh Hkk¡fr >kj[k.M lekt Hkh nks oxksaZ esa c¡Vk gS& vkfnoklh vkSj xSj&vkfnoklhA vkfnoklh ¼tutkfr½ Hkkjr dh ewy fuoklh gS] ftls fxfjtu tutkfr vkfn vU; ukeksa ls Hkh tkuk tkrk gSA >kj[k.M esa budk fuokl LFkku NksVkukxiqj ,oa laFkky ijxuk gSA ;s /kuckn] fxfjMhg] gtkjhckx] jk¡ph] cksdkjks] nqedk] pkbZcklk] te'ksniqj] yksgjnxk vkfn ftyksa esa çlfjr gSaA bUgsa ,d fo'ks"k bdkbZ ds #i esa igpkuk tk ldrk gSA {ks=kuqlkj budh viuh Hkk"kk] lH;rk] laL-fr] jhfr&fjokt] ijEijk]

शोध सार

झारखण्ड भारत का एक महत्वपूर्ण प्रान्त है। विविधता इसके कण–कण में व्याप्त है। भारतीय समाज की भाँति झारखण्ड समाज भी दो वर्गों में बँटा है– आदिवासी और गैर–आदिवासी। आदिवासी (जनजाति) भारत की मूल निवासी है, जिसे गिरिजन जनजाति आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। झारखण्ड में इनका निवास स्थान छोटानागपुर एवं संथाल परगना है। ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, राँची, बोकारो, दुमका, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा आदि जिलों में प्रसरित हैं। इन्हें एक विशेष इकाई के रुप में पहचाना जा सकता है। क्षेत्रानुसार इनकी अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्परा, आस्था, विश्वास, रहन–सहन, शारीरिक बनावट आदि है जो गैर–आदिवासियों से भिन्न हैं। ये आधुनिक सभ्यता से दूर पिछड़े व निरक्षर हैं। जंगली लता–गुल्मों की ओट और पर्वतीय गुफा व कन्दराएँ उनके घर हैं तथा जंगली फसल–अन्न व फल–फूल खाद्य पदार्थ हैं। शिकारी, परिश्रमी व स्वभाव से सरल हृदयी यह आदिवासी जन–समुदाय अपने विशेषताओं के हेतु झारखण्ड की भूमि महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सदियों से आदिवासी जन–समुदाय शोषण का शिकार रहा है। अस्तु यह वर्ग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा रहा है। 15 अगस्त सन् 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी सन् 1950 से देश का नया संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार, भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक समानता, शैक्षिक प्रगति और धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के घोषित उद्देश्य हैं। आदिवासी जन–समुदाय भारतीय जन समूह का एक प्रमुख अंग है। उनकी प्रगति के बिना एक शक्तिशाली प्रजातांत्रिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अनुसार, इन आदिवासियों के कल्याणार्थ उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में कई उपबन्ध रखे गये हैं

जिसके अनुपालन के लिए संबंधित प्रान्तीय सरकारों को निर्देश दिया गया है। अतः झारखण्ड सरकार उनके चहुँमुखी विकास के लिए समय–समय पर विशेष कदम उठायी है, जिसका स्पष्ट परिणाम दृष्टिगोचर होता है।

मुख्य शब्द

जनजातिय विकास, प्रजातांत्रिक समाज, बहुस्तरीय योजनाएं, आदिवासी उपयोजना, आधुनिक समाज, जीविकोपार्जन.

वर्तमान में जनजातिय विकास हेतु बहुस्तरीय योजनाएं चलायी जा रही हैं। इस संबंध में यह बता देना उचित होगा कि जनजातिय विकास के तीन प्रमुख अभिकरण हैं :

(1) केन्द्र द्वारा निर्मित एवं समर्थित व्यापक विकास योजनाएं,

(2) राज्य सरकार द्वारा विकास एवं कल्याण की राज्यस्तरीय योजनाएं तथा

(3) सूक्ष्म स्तर पर तीन डिविजनों में जनजातीय क्षेत्र विकास अभिकरणों द्वारा चलायी जा रही स्थानीय योजनाएं।

जनजातिय क्षेत्र विकास के लिए संथाल परगना, उत्तर एवं दक्षिण छोटानागपुर में जनजाति क्षेत्र विकास अभिकरण का गठन किया गया है। राज्य में अलग से आदिवासी उपयोजना का गठन किया गया है। अधिकतर आदिवासी जनसंख्या छोटानागपुर एवं संथालपरगना के अनेक जिलों में वास करती है। राज्य में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत 43,604 वर्ग किमी क्षेत्र आता है जहां 43.29 लाख आदिवासी वास करते हैं। यह उपयोजना रांची, गुमला, लोहरदग्गा, सिंहभूम एवं पलामू जिलों में चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत गोड्डा, दुमका एवं साहेबगंज जिले के कुछ भाग आते हैं। 112 प्रखण्डों को प्रशासनिक सुलभता के लिए 14 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में गठित किया गया है। इन परियोजनाओं को मेसो प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये योजनाएं उन्हीं प्रखण्डों में चलायी जाती हैं जहां जनजातिय आबादी 50 प्रतिशत है। इस परियोजना द्वारा 75 प्रतिशत जनजातिय आबादी के विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

राज्य में जनजाति विकास कार्यक्रमों की परिकल्पना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जाती है जिसे राज्य सरकार, बैंक एवं सहकारी संस्थाएँ समन्वित रुप से चलाने का प्रयास करती है। इस उपयोजना के अन्तर्गत कुल योजना व्यय का 25 प्रतिशत व्यय होता है तथा यह राज्य का 25.07 प्रतिशत क्षेत्र है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1212 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय 1559 करोड़ रुपया हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रु 3336.57 करोड़ व्यय का प्रावधान है। आदिवासी उपयोजना के द्वारा अनेकों विकासात्मक एवं कल्याण कार्य किये जाते हैं। समग्र जनजाति विकास परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण अंग न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम है। इसके द्वारा पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क, पोषण आहार, गृह निर्माण हेतु भूखण्ड तथा विद्युतीकरण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि इन क्षेत्रों में शोषण मुक्त विकास की अवस्था तय हो सके। परन्तु इन कार्यक्रमों का समुचित लाभ जनजातियों को मिलने के बजाय परियोजना चलाने वाले निकायों के प्रबन्धको को अधिक मिला है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त जनजातिय क्षेत्रों में सूखा पीड़ित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमान्त किसान कृषक श्रम विकास निकाय, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण बेरोजगार युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम भी चलाये जा रहे हैं। आदिवासी जनसंख्या में साक्षरता दर 16.99 प्रतिशत से भी कम है तथा महिलाओं की साक्षरता पर 2.5 प्रतिशत से भी कम है।

सेवाओं एवं तकनीकी संस्थाओं में इनके न्युन्य प्रतिनिधित्व को देखते हुए सरकार ने टीएसपी के अन्तर्गत अनेक योजनाएँ चलाई हैं। राज्य सरकार द्वारा 83 आवासीय स्कूल, 36 उच्च विद्यालय, 30 मध्य एवं 16 प्राथमिक विद्यालय तथा एक इन्टर विद्यालय खोला गया है जिसका तमाम वित्तीय भार सरकार वहन करती है। छात्राओं को स्कूल यूनिफार्म मुफ्त दिया जाता है तथा उनके हॉस्टल में आवास की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। परीक्षा फीस जो विद्यालय या विश्वविद्यालयों की परीक्षा हेतु ली जाती है उसकी वापसी की भी व्यवस्था सरकार करती है।

सरकार विद्यार्थीयों को स्कूल स्तर पर पढाई के लिए मेरिट कम पोवर्टी के आधार पर वजीफा भी देती है। राज्य में आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण–सह–उत्पादन से अवगत तथा प्रशिक्षित कराया जाता है ताकि वह आधुनिक समाज में अपनी जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सकें। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थियों को वजीफा भी दिया जाता है तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें रोजगार हेतु 5000 रु मूल्य का उपकरण किट दिया जाता है। इसका पूरा व्यय राज्य सरकार टीएसपी के अन्तर्गत वहन करती है। इस निगम का स्थापना 1978 में की गई थी। इसका उद्देश्य जनजातियों के सदस्यों को आर्थिक सहायता देकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है। यह निगम आदिवासियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह ऋण सुविधा मार्जिन मनी का अनुदान योजना के अन्तर्गत देता है। मार्जिन मनी ऋण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को विभिन्न आर्थिक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा एवं 75 प्रतिशत बैंको के द्वारा दिया जाता है। यह योजना राज्य के 14 जिलों में चलायी गई है। वर्ष 1980–81 से 1990–91 तक कुल 60,448 सदस्यों को इस योजना से लाभ पहुंचाया जा चुका है। निगम द्वारा 509.78 लाख रुपये मार्जिन मनी ऋण के रुप में बैंकों के माध्यम से दिया गया है।

अनुदान योजना के अंतर्गत हरिजन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देकर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की अधिकतम राशि 35,000 रुपये है, जो मुख्यतः नाबार्ड द्वारा निर्धारित लाभकारी व्यवसायों पर ऋण एवं 91 तक 71,232 परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। निगम द्वारा 186.06 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। सहकारिता विकास निगम को इन दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कमशः 51 एवं 44 प्रतिशत के अनुपात में हिस्सा पूँजी उपलब्ध कराई जाती राज्य में अनुसूचित जाति–जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 44 होजयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस नई योजना के तहत प्रत्येक होजियरी समिति के लिए राज्य सरकार की ओर से 12.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें युवक–युवतियों को स्थान, शेड, सिलाई मशीन, कच्चे माल की आपूर्ति एवं तैयार माल की बिकी की व्यवस्था के साथ–साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए आठवीं योजना में रु 55 लाख का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आदिवासी उत्थान हेतु सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता खेल–कूद में टैलेन्ट सर्च स्कॉलरशिप, पहाड़िया जाति के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण कैंप, पुस्कालय विधि सहायता, सीमित चिकित्सा सहायता आदि महत्वपूर्ण योजनाएँ चला रही है। सरकारी प्रयासों एवं परियोजनाओं की उदासीनता के कारण जनजातिय बहुल क्षेत्र में उग्र उप–राष्ट्रीयता का विकास हुआ। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक नई स्थिति से निबटने के लिए इन लोगों ने विद्रोह का सहारा लिया।

वही स्थिति इस शताब्दी के दूसरे भाग में भी देखी जा सकती है। उग्र झारखण्ड आन्दोलन के फलस्वरुप 9 अगस्त, 1995 को झारखण्ड क्षेत्र स्वायत परिषद का गठन हुआ है फिर भी यह व्यवस्था जनजातिय आवश्यकताओं एवं आशाओं के अनुरूप प्रकट नहीं होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जनजातियों के कल्याण के प्रति सरकार प्रयत्नशील रही है। हमारे संविधान में नागरिकों को इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रुप से अति पिछड़ा माना गया है और इनके हितों की रक्षा और इनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण उपबन्ध सम्मिलित किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान के उद्देश्यों में नागरिकों के लिए न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की) तथा भातृत्व (व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का आश्वासन) सम्मिलित है। सदियों से विभिन्न प्रकार की अशक्तताओं, अयोग्यताओं और शोषण के शिकार जनजातियों के लोगों के लिए संविधान के ये व्यापक उद्देश्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जनजातियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। देश के अधिकांश अशिक्षित एवं निरक्षर व्यक्ति जनजातियों के ही लोग हैं।

देश की स्वतंत्रता के बाद इनके शैक्षिक विकास के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। मानव संसाधन विकास

मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग ने अपने सभी कार्यकमों में जनजाति वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। आई. आई. टी., क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों केन्द्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों आदि सहित केन्द्र सरकार के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातियों के लिए सीटों का अराक्षण। आई. आई. टी. में एक योजना के तहत जनजातीयों के उन उम्मीदवारों को जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, को एक वर्ष का पुनः प्रशिक्षण दिया जाता है जो प्रवेश परीक्षा में कुछ ही अंकों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जनजातियों के लिए अलग से कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्तियों, अनुसंधान एसेशिएटशिप और शिक्षक छात्रवृत्तियों का प्रावधान करता है। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ शिक्षा केन्द्र आदि खोलने और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम लागू करने करे प्राथमिकता दे। केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजातियों के छात्रों को मुफ्त पाठ्य–पुस्तकें, यूनीफार्म तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जनजाति के अधिक आबादी वाले ऐसे इलाकों में जहाँ पहले से स्कूल नहीं हैं वहाँ सरकार के द्वारा पूर्णकालिक शिक्षक अथवा शिक्षा कर्मियों वाले स्कूल खोले गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ऐसे किसी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की अनुमति दी गई है, जिसके बारे में राज्य को यह लगता हो कि उसे सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस प्रावधान के अन्तर्गत सरकार ने अपने नियंत्रण वाली सेवाओं में जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकारी नौकरियों और सेवाओं में जनजातियों के लोगों को आरक्षण देने का उद्देश्य इन समुदायों के कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढाना मात्र नहीं है (हालांकि यह आरक्षण का महत्वपूर्ण और तात्कालिक उद्देश्य है), बल्कि समुदायों का सामाजिक और शैक्षिक उत्थान कर उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना भी इसका एक उद्देश्य है। खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य तरीके से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। अभी हाल ही में 10 मई, 2000 को लोकसभा ने संसद में विचाराधीन 90वाँ संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया, इसके तहत जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा से बाहर रखने का प्रावधान है।

जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ छूट और रियायतें दी गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं– जनजातियों की अधिकतम आयु सीमा में पाँच साल की छूट जनजातियों को चयन के आधार पर पदोन्नति के मामलों में उपयुक्तता के मानदण्डों में छूट, बशर्ते वे पद के लिए अयोग्य न हों। जनजातियों के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के मामलों में जहाँ जरुरी हो वहाँ संबंधी योग्यताओं में छूट दी गई है। जनजातियों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। आरक्षण की यह प्रणाली राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अपनाई जा रही है। राज्य सरकारों ने संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य सूची की 41वीं मद में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करके इन वर्गों को पदों के लिए आरक्षण दिया है

निष्कर्ष

राज्य में रह रहे विभिन्न जनजातियों की सामाजिक, राजनीतिक जीवन में समानता परिलक्षित होती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति एकसमान नही है। उनमें शिक्षा का प्रचार–प्रसार में भी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ ऐसी जनजातियाँ है जो आज भी शिक्षा, मकान, रोटी, बिजली, पेय जल, सड़क आदि की सुविधाओं से वंचित है। आज भी उनकी आर्थिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सरकार द्वारा संचालित सामाजिक, आर्थिक आदि सुविधाएँ निर्धन आदिवासियों तक समुचित रुप से नहीं पहुँच रही हैं। ईसाई मिशनिरियों ने अपने धर्म फैलाने के प्रलोभन में अनेक सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया। ईसाई मत के प्रचार से उनके समाज का विघटन आरम्भ हो गया।

धर्म वस्तुतः एक सामाजिक पद्धति है और इसके परित्याग करने का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अपने सभी साथियों के सांस्कृतिक समूह से अपने को बहिष्कृत कर लेता है। जो जनजाति ईसाई होते हैं, वे स्वभावतः अपनी

जनजाति के अन्य व्यक्तियों से अपने को पृथक् समझने लगते हैं। जनजातियों के जीवन पर गहरा प्रभाव हिन्दू सभ्यता तथा विदेशी पाश्चात्य सभ्यता का पड़ा है। इन दोनों के सम्पर्क में आने से अनुकूलन की अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। स्वतन्त्र भारत की नवीन शासन व्यवस्था के अनेक कर्मचारी एवम् अधिकारीगण उनकी संस्कृति एवं रीति–रिवाजों से अनभिज्ञ थे। उनके असहानुभूतिपूर्ण रवैये ने उनकी समस्या को और भी उग्र रुप दे दिया जिसके कारण उनमें असन्तोष व्याप्त हो गया। जनजातीय समस्याओं को उग्र बनाने में बाह्य समुहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाह्य समूह के लोग अपनी क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिये इन समूहों में प्रविष्ट होकर इनका शोषण करते रहे हैं। इनमें महाजन, ठेकेदार, व्यापारी आदि आते हैं। ये लोग इनके पिछड़ेपन और अशिक्षा का लाभ उठाकर इनका शोषण कर रहे हैं। ये जनजातियाँ प्रायः घने जंगलों तथा दुर्गम प्रदेशों में रहती है जहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भरता ने भी आर्थिक, सामाजिक तथा अनेक जीवन धारणा सम्बन्धी समस्याओं को जन्म दे दिया है।

संदर्भ सूची

1. Philimore, R.H., *Historical Records of the Survey of India*, Vol - IV, Dehradun, India 158, PP - 76
2. Reid, J., The Chotanagpur Tenency Act; Act VI of 190%) with notes judicial rulings and the rules Framed under the Act, Calcutta - 1910.
3. Choudhary, P.C. Roy, *187 in Bihar* (Chotarvagpur and Santhal Parganas) Patna-1959.
4. Thornton, E., *The History of the British Empire in India*, Vol-V, London-1841-43,P-776.
5. Vidyarthi, L.P. and Rai, B.K., *The Tribal Culture of India*, Concept Publishing House, Delhi - 1977, p - 86.
6. छोटानागपुर जनजातीय शोध संस्थान, रांची से प्राप्त सामग्रियाँ।
7. एल0 पी0 विद्यार्थी शोध संस्थान, रांची से प्राप्त सामग्रियाँ।
8. उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नरी, हजारीबाग मंडल अभिलेखागार से प्राप्त सामग्रियाँ। दक्षिणी छोटानागपुर कमिश्नरी, रांची कार्यालय में प्राप्त पत्रावरण (फाइल)
9. Riggs, Prigmatic Societies and Public Administration, Admin tive Change, Vol -1,No. - 2, 1973, P - 18-24
10. Report of the study team on Social Welfare and Backward Classes; Renuka Study Team), Committee on Plan Project; New Delhi, July 1969) Vol-IP-7.
11. कश्यप, सुभाष, गुप्ता, विश्व प्रकाश. राजनीति कोश, पृ0 दृ 25, जनजातियों के लिए गणित राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन 13 मार्च 1992, इंडियाटुडे. 15 नवम्बर, 1994 पृ0 . 43
12. इनायत, अहमद, *बिहार : ए फिजिकल इकोनोमिक एंड रिजनल ज्योग्राफी,* रांची, 1965, पृ0 . 37
13. करण, पी0 पी0, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप इन छोटानागपुर (*इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल*) 1950, जिल्द 25, अंक 3, पृ0 . 10–13
14. केन्द्र सरकार की सेवाओं में जनजातियों का प्रतिनिधित्व, कल्याण मंत्रालय।

****